

05/11/2019
की पैदा हो
अ.

05-2-19

बकुलाप उपा उपयपक्षों की बंधन का
अवलोकन मन्त कल अमावास्या इत
निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपनिषदीय
प्रवचनित शास्त्रों में ही लडक निर्माण
का रहे है जो निम्नानुसार गलत नहीं है।
लडक निर्माण काम को जरूर कि अस्थायी
निषेधाज्ञा रोक जात विधिभंग प्रतीत
नहीं होता है। अतः प्रो धर्य स्वरित सिद्ध
जाता है। पञ्चावली के अनुसार वेकल
नम्बर में कम से कम शामिल मुल
बाद ही

अ
5/11/19
उपखण्ड अधिकारी
निवाड़